

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक: 2292 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0-2 / ई-14 / स्था0,

दिनांक 25 जून 2019

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसंचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम		स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा
			2	3	
(अनिवार्य स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम)					
1	श्री बीरेन्द्र प्रसाद कोटनाला / 10.07.66 / पौड़ी	सिंचाई कार्य मण्डल, रुद्रप्रयाग	नलकूप मण्डल, देहरादून		अधिनियम की धारा-10(क)एवं (ख) में निहित प्राविधान अनुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर- I)

पत्रांक: 2292 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0-2 / तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर- I / II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- विभागीय पोर्टल/बेवर्साइट पर अपलोड हेतु।
- कट फाईल।

(शरद श्रीवास्तव)
विश्व स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 (कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक: 1630 / प्रोटो / सिंचाई / का०-२ / ई-१४ / रथा०,

दिनांक 25 जून 2019

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसंचित अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को उनके नाम के समुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	नाम / जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
2	3	4	5	6	
(अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम)					
1	श्री अमित कुमार/ 11.07.88/ हरिद्वार	परिकल्प मण्डल, रुडकी	सिंचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी	अधिनियम की धारा-7(क)एवं (ख) में निहित प्राविधान अनुसार।	अधिनियम की धारा-7(ग) में निहित प्राविधान अनुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:-



1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)

पत्रांक: 1630 / प्रोटो / सिंचाई / का०-२ / तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-१ / १, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. ✓ विभागीय पोर्टल/वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. कट फाईल।


 (शरद श्रीवास्तव)
 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

(2)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक: 1881 / प्र०अ० / सिं०वि० / का०-२ / ई-१४ / स्था०,

दिनांक 25 जून 2019

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अनुसंधिवीय अधिस्थान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायकों को उनके नाम के समुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
2	3	4	5	6	
(अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम)					
1	श्री बिकम सिंह चौहान/ 01.07.71/टिहरी	सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून	सिंचाई कार्य मण्डल, रुद्रप्रयाग	अधिनियम की धारा-7(क)एवं (ख) में निहित प्राविधान अनुसार।	अधिनियम की धारा-7(ग) में निहित प्राविधान अनुसार।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुपालन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

पत्रांक: 1881 / प्र०अ० / सिं०वि० / का०-२ / तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / ।।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. ✓ विभागीय पोर्टल/बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
5. कट फाईल।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

३